आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
16-05-2023	**वाद सं0–07 / 2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सरायकेला–खरसाँवा उपस्थित। मामले की सुनवाई Telephonic Conference के माध्यम से की गई। शिकायतकर्ता से संपर्क नहीं हो पाया। आयोग के अभिलेख में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सरायकेला–खरसाँवा द्वारा भेजा गया प्रतिवेदन मौजूद है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पत्रांक–607 दिनांक–10.05.2023 से प्राप्त प्रतिवेदन की समिक्षा के क्रम में स्पष्ट हुआ की RO से कम मात्रा में उठाव हुआ है। साथ ही प्रखण्डवार उठाव की गई मात्रा से कहीं अधिक तो कहीं कम मात्रा में अनाज का Dispatch हुआ है। ये स्थिति बडे पैमाने पर अनियमितता एवं लापरवाही दर्शाता है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि किस प्रकार की अनियमितता की बात कही जा रही है, स्पष्ट नहीं हो रहा है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने यह भी कहा कि उनके रिपोर्ट में इस तरह के आंकड़े नहीं है। ऐसे में आयोग सदस्य सचिव, खाद्य आयोग को निर्देश देता है कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सरायकेला–खरसाँवा पत्रांक–607 दिनांक–10.05.2023 के माध्यम से भेजे गए प्रतिवेदन में जो अनियमितता परिलक्षित होती है, उसका विस्तार से उल्लेख करते हुए उन अनियमितताओं और कारणों पर स्पष्ट प्रतिवेदन जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सरायकेला–खरसाँवा से मँगाया जाय। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–30.05.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–30.05.2023 को रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	